राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 975/2009/आबकारी/अजमेर.

श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री शक्ति सिंह,
समूह संख्या 266, केसरपुरा, वृत नसीराबाद, अजमेर. .....प्रार्थिया.

बनाम

1. आयुक्त आबकारी, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक .....प्रार्थिया की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/08/2017

निर्णय

1. प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प.29(बी)/अपील/6/आब/2009 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.07.2009 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9क(1)(ख) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आबकारी निरीक्षक वृत नसीराबाद द्वारा दिनांक 17.02.2009 को देशी मदिरा दुकान संख्या 266 ग्राम पंचायत केसरपुरा जिला अजमेर का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में मौके पर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल (आर.एस.जी.एस.एम.) मार्का की 37 पेटियों में 1771 पव्वे सादा देशी मदिरा एवं एक पव्वा XXX रम (for sale in Chandigarh only) का पाया गया। आबकारी निरीक्षक को उक्त माल नकली प्रतीत होने के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 58(सी) के तहत अभियोग संख्या 3 दिनांक 17.2.2009 दर्ज करते हुए दुकान को मय माल सील किया गया। आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.3.2009 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थिया को वर्ष 2008–09 के लिये जारी लाईसेंस निरस्त करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(3) के तहत अमानत राशि रूपये 1,74,420/– को जब्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील, आदेश दिनांक 13.07.2009 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि आबकारी निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण में पाये गये 1771 पव्वे देशी मदिरा गोदाम अजमेर से 15 दिवस पूर्व जरिये परमिट संख्या 052122 दिनांक 02.02.2009 को लायी गयी थी, जिसमें 40 पेटी सादा देशी मदिरा गंगानगर ब्राण्ड की एवं शेष प्राईवेट ब्राण्ड ढोला मारू देशी शराब के पव्वे थे, जिन पर अजमेर मदिरालय की सील एवं निर्माण की तारीख/वर्ष अंकित थे। वक्त सर्वेक्षण राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल (RSGSM) द्वारा जारी परमिट आबकारी निरीक्षण को बता दिया गया था, जिसका मिलान भी मौके पर पाये गये माल से करवा दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जब तक माल को नकली/अवैध प्रमाणित नहीं कर दिया जाये, तब तक दुकान को सील नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आबकारी निरीक्षक द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत उक्त माल को नकली बताते हुए उसी समय दुकान को सील चपड़ी लगाते हुए सील कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दुकान में पाये गये एक पव्वा XXX रम (for sale in Chandigarh only) के सम्बन्ध में कथन किया कि उनके दुकान के पास में स्थित ढाबे से एक ट्रक ड्राईवर शराब खरीदने आया था जिसके हाथ में उक्त पव्वा था, जिसे जब्त करते हुए अभियोग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई माल चण्डीगढ़ निर्मित दुकान में होना नहीं बताया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत स्थापित करते हुए प्रार्थिया का लाईसेंस निरस्त किया गया है एवं अमानत राशि को राजसात किया गया है, जबकि अधिनियम की धारा 34(3) कि के तहत केवल लाईसेंस राशि को ही जब्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त नहीं की जा सकती। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने जब्त अमानत राशि मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी आयुक्त के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि आबकारी निरीक्षक के सर्वेक्षण में मौके पर RSGSM के 1771 पव्वे पाये गये, जिन पर RSGSM के लेबल व मोहर आदि अंकित पाये गये थे, किन्तु उक्त माल RSGSM का प्रतीत नहीं होने से आबकारी निरीक्षक ने विधि अनुसार दुकान को सील किया गया था। इसके अतिरिक्त दुकान में एक पव्वा अंग्रेजी शराब का 'चण्डीगढ़ में विक्रय योग्य' पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अवैध शराब का कारोबार किये जाने के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थिया का लाईसेंस निरस्त करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(3) के तहत अमानत राशि को जब्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा भी प्रार्थिया की अपील

लगातार.....3

अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थिया को स्वीकृत मदिरा दुकान केसरपुरा नं0 1 का निरीक्षण दिनांक 17.02.2009 को किया जाने पर RSGSM मार्का जैसी 37 पेटियों में 1771 पव्वे सादा देशी मदिरा के पाये गये थे एवं एक पव्वा XXX Rum जो चण्डीगढ़ में विक्रयार्थ थी, वह भी पाया गया था ऐसी स्थिति में एवं मौजूद मदिरा पर लगे हुए मार्के संदेहास्पद होने के कारण प्रार्थिया के विरूद्ध अभियोग बनाया गया एवं बरामद मदिरा की आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर एवं पव्वों पर लगे पी.पी. सील व लेबल की जांच RSGSM जयपुर की लेब से कराई जाने पर बरामद शराब निर्धारित मापदण्ड के विपरीत तेजी से भिन्न एवं पी.पी. सील व लेबल भी वास्तविक पी.पी. सील एवं लेबल से भिन्न पाये गये जो RSGSM में प्रयुक्त होने वाले लेबल से भिन्न प्रतीत हुए थे। विभाग द्वारा करवाई जांच से आपत्ति प्रकट किये जाने पर पुनः जांच करवाई गई तब बरामद मदिरा तथा स्टॉक रजिस्टर में दर्शाये गये स्टॉक से भिन्न स्टॉक पाये जाने की भी पुष्टि हुई। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 19/54 एवं 58(सी) के तहत अभियोग स्थापित कर अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में नियम 76(सी) के तहत प्रार्थिया का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया था।

7. हमारे समक्ष प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से जमा कराई गई धरोहर राशि रूपये 1,74,420/– को रिफण्ड किये जाने हेतु तर्क दिये गये हैं, जिसमें समस्त कार्यवाही को अवैधानिक एवं निरस्तनीय मानते हुए उक्त राशि को लौटाने के आदेश करने का अनुरोध किया गया है।

8. प्रकरण में रेकॉर्ड के अवलोकन पर चूंकि यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थिया द्वारा अपनी दोनों दुकानों का स्टॉक उचित रूप से संधारित नहीं किया गया था एवं लेबल की जांच में पायी गयी अनियमितताओं का भी कोई समुचित कारण के साथ जवाब पेश नहीं किया था बल्कि दिनांक 02.03.2009 को दिये गये जवाब के बिन्दु संख्या 2 में ढोला मारू ब्राण्ड की बिक्री दुकान नम्बर 2 में होने के कारण माल का वहां रखवाना माना गया था जबकि वह माल दुकान नं0 1 के लिये जारी किया हुआ था इसके अलावा प्रार्थिया को सुनवाई का पूरा

लगातार.....4

अवसर देते हुए मदिरा के सम्बन्ध में दोबारा जांच भी करवाई गई थी जिसमें मदिरा की तेजी भिन्न पाये जाने एवं लेबल एवं पी.पी.सील की जांच में माल भिन्न तरह का पाया गया था ऐसी स्थिति में आबकारी अधिनियम के अधीन नियमों की कठोरता से पालना करवाना विधिसम्मत पाया जाता है एवं इस स्थिति में लाईसेंस को निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं होना निर्णीत किया जाता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 34(3) के तहत अमानत राशि रूपये 1,74,420/– के राजसात करने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में धारा 34(3) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

34. Power to cancel and suspend licences.-

(3) The holder of a licence, permit or pass shall not be entitled to any compensation for the cancellation or suspension thereof under this section nor to a refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

10. उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि लाईसेंस निरस्त होने की स्थिति में किसी भी तरह के डिपोजिट को रिफण्ड किया जाना निरूद्ध किया हुआ है ऐसी स्थिति में अमानत राशि को नहीं लौटाने के निर्णय की भी पुष्टि की जाती है।

11. फलतः प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार की जाकर जिला आबकारी अधिकारी अजमेर व आबकारी आयुक्त के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष